

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-30.6.17

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....50...../श्री मनोज कुमार शर्मा, उप निदेशक (नियोजन), दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री शर्मा का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....51...../श्री अश्वजीत कुमार पराशर, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री पराशर का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....52...../श्री श्याम प्रकाश शुक्ल, जिला नियोजन पदाधिकारी, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री शुक्ल का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....53...../श्री आशीष आनन्द, जिला नियोजन पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री आनन्द का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....54...../श्री भरत जी राम, जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....55...../श्री अविनाश कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियोऽस्था० 05/17 श्र०सं०.....56...../श्री निशान्त कुमार सिन्हा, जिला नियोजन पदाधिकारी, भभुआ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिन्हा का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

*Handwritten signature and date:*  
30/6/17


संख्या-1/नियो०स्था० 05/17 श्र०सं०.....57...../श्री राजेश कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या-1/नियो०स्था० 05/17 श्र०सं०.....58...../श्री अजय कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला नियोजन पदाधिकारी, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतएव इन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/नियो०स्था० 05/17 श्र०सं० .....58...../ पटना, दिनांक-30.6.17

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी नियोजन पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।